

न्यायालय— सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला—बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रक.क्रमांक-1038 / 2012

संस्थित दिनांक-17.12.2012

फाईलिंग क्र.23450300342012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—बैहर,
 जिला—बालाघाट (म.प्र.)

अभियोजन

// विरुद्ध //

चालेश्वर सोनी, पिता स्व. लोकनाथ सोनी, उम्र-65 वर्ष, जाति सुनार,
 निवासी—ग्राम बहेराभाटा, थाना—बिरसा,
 जिला बालाघाट (म.प्र.)

आरोपी

// निर्णय //

(आज दिनांक-04 / 11 / 2015 को घोषित)

1— आरोपी के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा-34 ए के तहत आरोप है कि उसने दिनांक-19.06.2012 को दिन के 1:50 बजे, थाना बिरसा अन्तर्गत ग्राम बहेराभाटा में अपने मकान में अपने आधिपत्य में बिना वैध अनुज्ञप्ति के एक प्लास्टिक की बोरी में 13 पाव प्लेन मदिरा एवं 3 पाव देशी मसाला मदिरा अवैध रूप से रखा था तथा पूर्व में भी अवैध रूप से शराब रखे जाने के कारण न्यायालय द्वारा छःह सौ रुपये अर्थदंड एवं न्यायालय उठने तक की सजा से मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा-34 ए में दंडित किया जा चुका है।

2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि दिनांक-19.06.2012 को आबकारी उपनिरीक्षक मोना दुबे को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम बहेराभाटा में आरोपी चालेश्वर ने अपने रिहायशी मकान में देशी, पक्की शराब बिना लायसेंस के बेचता है। सूचना की तस्दीक हेतु हमराह स्टाफ के साथ रवाना हो गई। मौके पर पहुंचने पर आरोपी चालेश्वर अपने मकान में एक प्लास्टिक की बोरी में 13 पाव प्लेन मदिरा एवं 3 पाव देशी मसाला मदिरा अवैध रूप से रखे हुए मिला, जिसके संबंध में आरोपी से लायसेंस पूछे जाने पर लायसेंस न होना बताया। आरोपी से उक्त शराब हो गवाहों के समक्ष जप्त कर जप्ती पंचनामा तैयार किया और आरोपी को गिरफ्तार किया। थाना वापस आकर आरोपी के

विरुद्ध अपराध क्रमांक-66/12 अंतर्गत धारा-34(1) आबकारी एक्ट पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की। विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए। जप्तशुदा मदिरा परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त कर अनुसंधान पूर्ण कर आरोपी के विरुद्ध पुलिस द्वारा न्यायालय में अभियोगपत्र पेश किया गया।

3- आरोपी को मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा-34 ए के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। आरोपी ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं निर्दोष एवं झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया है।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1- क्या आरोपी ने दिनांक-19.06.2012 को दिन के 1:50 बजे, थाना बिरसा अन्तर्गत ग्राम बेहराभाटा में अपने मकान में अपने आधिपत्य में बिना वैध अनुज्ञप्ति के एक प्लास्टिक की बोरी में 13 पाव प्लेन मदिरा एवं 3 पाव देशी मसाला मदिरा अवैध रूप से रखा था ?

2- क्या आरोपी को उक्त घटना दिनांक के पूर्व में भी अवैध रूप से शराब रखे जाने के कारण न्यायालय द्वारा छःह सौ रुपये अर्थदंड एवं न्यायालय उठने तक की सजा से मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा-34 ए में दंडित किया जा चुका है ?

विचारणीय बिन्दु पर सकारण निष्कर्ष :-

5- आबकारी उपनिरीक्षक मोना दुबे (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-19.06.12 को आबकारी वृत्त बेहरा में आबकारी उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ थी। उक्त दिनांक को वह अपने दल के साथ ग्राम बेहराभाटा अवैध शराब की पतासाजी के लिए गई थी, क्योंकि उसे ग्राम बेहराभाटा में आरोपी के नाम से सूचना मिली थी कि वह अपने घर से देशी पक्की शराब बिना लायसेंस के बेचता है। फिर वह अपने दल के साथ आरोपी के घर के समक्ष उपस्थित होकर आरोपी चालेश्वर को बुलाकर और साक्षियों की उपस्थिति में अवैध रूप से देशी शराब की सूचना के संबंध में जानकारी दी। फिर उन लोगो ने अपनी तलाशी आरोपी को दिए थे, जिसका पंचनामा प्रदर्श पी-2 तैयार किया गया था, जिस पर उसके एवं आरोपी का निशानी अंगूठा लिया था। फिर आरोपी के घर की साक्षियों के समक्ष तलाशी ली गई। तलाशी करने पर आरोपी के रहवासी मकान में एक बोरी में रखे 13 पाव देशी प्लेन मदिरा एवं 3 पाव देशी मसाला मदिरा 180 एम.एल. की

क्षमता वाली शीशी में मिली थी। उक्त शराब बेचने का आरोपी के पास लायसेंस नहीं था। उक्त द्रव्य का परीक्षण करने पर देशी प्लेन मदिरा एवं देशी मसाला मदिरा होना पाया था। उक्त मदिरा को सीलबंद कर उसने अपने कब्जे में लिया था। जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-1 उसने साक्षियों के समक्ष तैयार की थी, जिस पर उसके व आरोपी चालेश्वर का अंगूठा निशानी लिया था।

6— उक्त साक्षी का यह भी कथन है कि उसने आरोपी को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-4 बनाई थी, जिस पर उसके व आरोपी की निशानी अंगूठा ली थी। आरोपी का अपराध जमानती होने से उसे जमानत मुचलका पर छोड़ा गया था एवं न्यायालय समक्ष उपस्थित होने की सूचना दी गई थी। आरोपी को उसका मकान सौंपकर तलाशी बाद पंचनामा प्रदर्श पी-3 साक्षियों के समक्ष तैयार किया था, जिस पर उसके और आरोपी के निशानी अंगूठा लिया था। पूर्व में उक्त आरोपी को अवैध मदिरा रखने के संबंध में 600/-रुपये का अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा दी गई थी। उक्त अपराध आरोपी का यह दूसरा अपराध है, जिसका उल्लेख उसके द्वारा पेश किये गए चालान कॉपी में किया गया है, जो प्रदर्श पी-5 हैं, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

7— उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि यह स्वीकार किया कि उसके द्वारा आरोपी को पूर्व में छःह सौ रुपये जुर्माना एवं न्यायालय उठने तक की सजा दिए जाने के संबंध में कोई प्रमाण, न्यायालय की प्रति पेश नहीं की गई है एवं प्रकरण क्रमांक का उल्लेख नहीं किया गया है।

8— मोहनलाल मार्को (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-19.06.2012 को आबकारी आरक्षक के पद पर पदस्थ था। वह आरोपी चालेश्वर को पहचानता है। उक्त दिनांक को वह आबकारी उपनिरीक्षक मोना दुबे के साथ गश्त पर गया था। आरोपी चालेश्वर के घर से प्लेन देशी मदिरा एवं देशी मसाला मदिरा मिली थी। उक्त मदिरा के संबंध में आरोपी के पास कोई लायसेंस नहीं था। उसके समक्ष आबकारी उपनिरीक्षक ने आरोपी से उक्त मदिरा को जप्त कर जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-1 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी से 13 पाव प्लेन मदि और 3 पास मसाला मदिरा जप्त की गई थी। उसके समक्ष पंचनामा जामा तलाशी पूर्व की कार्यवाही की गई थी। उक्त पंचनामा प्रदर्श पी-2 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। तलाशी बाद पंचनामा प्रदर्श पी-3 की कार्यवाही उसकी उपस्थिति में हुई थी, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-4 उसके समक्ष तैयार किया गया था, जिस पर उसके

हस्ताक्षर हैं।

9— उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि वह आबकारी विभाग में आरक्षक है। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपी के विरुद्ध उसके अधिकारी ने झूठी कार्यवाही की है। इस प्रकार साक्षी के कथन से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि उसके वरिष्ठ अधिकारी, जिसने जप्ती की कार्यवाही कर संपूर्ण मामला आरोपी के विरुद्ध तैयार किया है।

10— अभियोजन की ओर से आबकारी उपनिरीक्षक मोना दुबे (अ.सा.2) ने मामलों में आरोपी से 13 पाव प्लेन व 3 पाव मसाला मदिरा जप्त किया जाना बताया है, जिसके संबंध में आरोपी के पास लायसेंस न होना प्रकट किया गया है। उक्त कार्यवाही का समर्थन साक्षी मोहनलाल (अ.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में किया है। उक्त साक्षीगण के प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष की ओर से उनके कथन का खण्डन नहीं किया गया है। उक्त साक्षीगण के कथन पर मात्र इस कारण अविश्वास नहीं किया जा सकता कि आबकारी उपनिरीक्षक ने संपूर्ण कार्यवाही स्वयं निष्पादित की है या जप्ती की कार्यवाही के पंच साक्षी के रूप में विभागीय साक्षी को पेश किया गया है, जिसने जप्ती अधिकारी की कार्यवाही का समर्थन किया गया है। वास्तव में साक्षीगण के कथन का महत्वपूर्ण खण्डन न किये जाने से तथा प्रकरण में संदेह पूर्ण कार्यवाही किये जाने का तथ्य प्रकट न होने से अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होता है कि आरोपी ने घटना के समय उसके आधिपत्य में कथित मदिरा को अवैध रूप से रखे हुए था। यद्यपि आरोपी को पूर्व में छःह सौ रुपये जुर्माना एवं न्यायालय उठने तक की सजा दिए जाने के संबंध में कोई प्रमाण या न्यायालय की प्रति पेश नहीं होने से आरोपी की कथित पूर्व दोषसिद्धि प्रमाणित नहीं होती है।

11— उपरोक्त संपूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि आरोपी के विरुद्ध आबकारी मामलों में पूर्व दोषसिद्धि का तथ्य प्रमाणित नहीं है, किन्तु अभियोजन यह तथ्य संदेह से परे प्रमाणित किया है कि आरोपी ने दिनांक-19.06.2012 को दिन के 1:50 बजे, थाना बिरसा अन्तर्गत ग्राम बहेराभाटा में अपने मकान में अपने आधिपत्य में बिना वैध अनुज्ञप्ति के एक प्लास्टिक की बोरी में 13 पाव प्लेन मदिरा एवं 3 पाव देशी मसाला मदिरा अवैध रूप से रखा था। फलतः आरोपी को मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा-34 ए के अपराध के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

12— आरोपी के विरुद्ध पूर्वदोषसिद्धि का प्रमाण पेश नहीं है। अतएव आरोपी को मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा-34 ए के अपराध के अंतर्गत न्यायालय उठने तक की सजा एवं 500/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड के व्यतिक्रम की दशा में आरोपी को 15 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।

13— आरोपी के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

14— प्रकरण में आरोपी दिनांक-15.10.2013 से दिनांक-17.10.2013 तक न्यायिक अभिरक्षा में रहा है। उक्त के संबंध में पृथक से धारा-428 द.प्र.सं. का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

15— प्रकरण में जप्तशुदा मदिरा 13 पाव प्लेन मदिरा एवं 3 पाव देशी मसाला मदिरा अपील अवधि पश्चात् विधिवत् नष्ट की जावें अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट